अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान मुद्रा वाद संख्या– 12/1990

बैंक ऑफ इंडिया वनाम मधुसुदन हेम्ब्रम।

आदेश की क्रम सख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारिख

आदेश

यह वाद बैंक ऑफ इंडिया, मझगाँव द्वारा दिनांक– 03.07.1990 को शिक्षित बेरोजगार को रोजगार योजनान्तर्गत प्रतिवादी संख्या– 1 मधुसुदन हेम्ब्रम, पिता– दुदिया हेम्ब्रम, ग्राम– मन्डोरी, पो०– मझगाँव, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम तथा प्रतिवादी संख्या–2 सुरेश पिंगुवा, पिता का नाम– शून्य, ग्राम– बहारिआ, पो०+थाना– मझगाँव, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम द्वारा बैंक से लिये गये ऋण के विरूद्ध यह मुद्रा वाद दायर किया गया है। इस वाद में बैंक की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा सिर्फ हाजरी दी जाती है। लेकिन सुनवाई हेतु निर्धारित किसी भी तिथि को उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखने के कारण देनदार से ऋण की राशि वसूली हेतु अग्रेतर कार्रवाई नहीं हो पाता है। यह वाद दायर होने के बाद प्रतिवादी (देनदार) एक बार भी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखने के कारण इस न्यायालय के पत्रांक– 87/न्या० दिनांक– 18.11.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, मझगाँव को देनदार से नोटिस तामिला हेतु भेजा गया। सुनवाई हेतु अगली निर्धारित तिथि 02.12.2021 को वादी के अधिवक्ता की ओर से हाजरी दी गई लेकिन वादी के अधिवक्ता या उनके कोई भी प्रतिनिधि द्वारा सुनवाई के समय अपना पक्ष नहीं रखा जाता है। इससे प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति एवं अभिलेख में संलग्न साक्ष्य के आधार पर इस वाद को खारीज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

02.12.2021
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

02.12.2021
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2021.12.09 12:10:06 +05:30
Location: 10.93.66.37

Scanned with CamScanner